

G.O-158/वि०का०/10
10-5-2010

①

संख्या-575/38-4-10-654/टी0सी0-1

प्रेषक,

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 07 मई, 2010

विषय-उ०प्र० के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने हेतु 'महामाया आवास योजना' का क्रियान्वयन।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1785/38-8-07-13ब/2006 दिनांक 10 सितम्बर, 2007 के प्रस्तर-6(i), 6(ii) एवं 6(iii) में दी गयी वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:-

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
<p>6(i) किसी एक जनपद को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि== संबंधित जनपद में एस0सी0/ एस0टी0 बी0पी0एल0 आवासहीन परिवारों की संख्या- -----X प्रदेश में उपलब्ध धनराशि प्रदेश में एस0सी0/एस0टी0 बी0पी0एल0 आवासहीन परिवारों की संख्या</p>	<p>6(i) किसी एक जनपद को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि== संबंधित जनपद में अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवासहीन एवं अस्थायी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों की संख्या -----X प्रदेश में उपलब्ध धनराशि प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के आवासहीन एवं अस्थायी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों की संख्या</p>
<p>6(ii) किसी एक विकास खण्ड को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि== संबंधित विकास खण्ड में एस0सी0/ एस0टी0 बी0पी0एल0 आवासहीन परिवारों की संख्या -----X जनपद में उपलब्ध धनराशि जनपद में एस0सी0/ एस0टी0 बी0पी0एल0 आवासहीन परिवारों की संख्या</p>	<p>6(ii) किसी एक विकास खण्ड को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि== संबंधित विकास खण्ड में अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवासहीन एवं अस्थायी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों की संख्या -----X जनपद में उपलब्ध धनराशि जनपद में अनुसूचित जाति/जनजाति के आवासहीन एवं अस्थायी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों की संख्या</p>

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
6(III) किसी एक ग्राम विशेष को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि= संबंधित ग्राम पंचायत में एस0सी0/ एस0टी0 बी0पी0एल0 आवासहीन परिवारों की संख्या -----X विकास खण्ड में उपलब्ध धनराशि विकास खण्ड में एस0सी0/ एस0टी0 बी0पी0एल0 आवासहीन परिवारों की संख्या	6(III) किसी एक ग्राम विशेष को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि= संबंधित ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवासहीन एवं अस्थायी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों की संख्या -----X विकास खण्ड में उपलब्ध धनराशि विकास खण्ड में अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवासहीन एवं अस्थायी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों की संख्या

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त संशोधन के अनुरूप कार्यवाही की जाये।

भवदीय,

7.5.10
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-575(1)/38-4-10 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ/नियोजन अनुभाग-4।
10. ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

7.5.10
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।